

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम खबर अहवाल

(फौजदारी प्रक्रिया संहिताच्या कलम १५४
अन्वये)

1. District (जिल्हा): नागपुर रेल वे P.S. (पोलीस ठाणे): इतवारा Year (वर्ष): 2023
FIR No. (प्रथम खबर क्र.): 0083 Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ):
11/10/2023 19:14 वाजता

S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	गुंगीकारक औषधीदट्ट य आणि मनोट यापारावर परिणाम करणारे प्रदार्थ अधिनियम, १९८५	20 (b) (ii)

3. (a) Occurrence of offence(गुन्ह्याची घटना):

1 Day (दिवस): मंगळवार Date from (दिनांक पासून): 10/10/2023 Date To (दिनांक पर्यंत): 10/10/2023

Time Period (कालावधी): प्रहर ५ Time From (वेळेपासून): 14:23 तास Time To (वेळेपर्यंत): 14:23 तास

(b) Information received at P.S. (पोलीस ठाण्यावर माहिती मिळाल्याचा): Date (दिनांक): 11/10/2023 Time (वेळ): 18:27 तास

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनंदिनी संदर्भ): Entry No. (नोंद क्र.): 021 Date and Time (दिनांक आणि वेळ): 11/10/2023 19:14 तास

4. Type of Information (माहितीचा प्रकार): लेखी

5. Place of Occurrence (घटनास्थळ):

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोलीस ठाण्या पासून दिशा आणि अंतर): पूर्व, 25 कि.मी. Beat No. (बीट क्र.):

(b) Address (पत्ता): गाडी क्र 12994 पुरी-गांधीधाम ए, चे इंजिन पासून दुस-या क्रमांका, जनरल बोगी क्र 216348WR चालू ग,रेस्टे कन्हान-कामठी स्टेशन दर

I.I.F.-I (एकीकृत अन् वेषणफॉर्म - १)

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (पोलीस ठाण्याच्या हद्दी बाहेर असल्यास, पोलीस ठाण्याचे नाव):

District (State) (जिल्हा (राज्य)):

6. Complainant / Informant (तक्रारदार / माहिती देणारा):

(a) Name (नाव): सरकार तर्फे राहुल के पाण्डेय उप

(b) Father's/Husband's Name (वडिलांचे/पतीचे नाव):

(c) Date/Year of Birth (जन्मतारीख / वर्ष): 1997 (d) Nationality (राष्ट्र ट्रीयट व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. क्र.):

(f) Passport No. (पारपत्र क्र.):

Date of Issue (दिल्याची तारीख): Place of Issue (दिल्याचे ठिकाण):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (ओळखपत्र विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (अ.क्र.)	ID Type (ओळखपत्राचा प्रकार)	ID Number (ओळखपत्र क्रमांक)
-----------------	-----------------------------	-----------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पत्ता):

S.No. (अ.क्र.)	Address Type (पत्ता प्रकार)	Address (पत्ता)::
1	वर्तमान पत्ता	रेसुब पोस्ट इतवारी,, दपूमरे, , नागपुर शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	रेसुब पोस्ट इतवारी,, दपूमरे, , नागपुर शहर, महाराष्ट्र, भारत

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल क्र.):

91-8303127673

I.I.F.-I (एकीकृत अन् वेषणफॉर्म - १)

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संशयित / अज्ञात आरोपींचे संपूर्ण तपशील):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एका पेक्षा जास्त असतील तर संख्या): 0

S. No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address(वर्तमान (पत्ता))
1	अनोळखी 1			

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (तक्रारदार/माहिती देणा-याकडून तक्रार करण्यातील विलंबाची कारणे):

9. Particulars of properties of interest (संबंधीत मालमत्तेचा तपशील):

S. No. (अ.क्र.)	Property Category (मालमत्ता वर्ग)	Property Type (मालमत्ता प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) मुल्य (रु. मध्ये)
1	औषध/अमलीपदार्थ	गांजा	1 चे वजन 2.046किलोग्रम, क्र. 2) चे वजन 2.045 किलोग्रम क्र. 3) चे वजन 2.058 किलोग्रम असा एकूण 03	61,490.00
2	औषध/अमलीपदार्थ	गांजा	1 चे वजन 2.282किलोग्रम, क्र. 2) चे वजन 2.215 किलोग्रम क्र. 3) चे वजन 2.241किलोग्रम 4) चे वजन 0.	72,690.00
3	औषध/अमलीपदार्थ	गांजा	1 चे वजन 2.048किलोग्रम, क्र. 2) चे वजन 2.044 किलोग्रम असा एकूण 02 बंडल ओलसर गांजाचे एकूण वजन 4.092	40,920.00

I.I.F.-I (एकीकृत अन् वेषणफॉर्म - १)

10. Total value of property (In Rs/-) मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रु. मध्ये) : 1,75,100.00
11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मरणान्वेषण अहवाल/अकस्मात मृत्यू प्रकरण क्र. जर असल्यास):

S. No. (अ.क्र.)	UIDB Number (यु.आय.डी.बी.)
--------------------	----------------------------

12. First Information contents (प्रथम खबर हकिगत):

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

कंजम .

11.10.2023

प्रति,

श्रीमान थाना प्रभारी अधिकारी,

शासकिय रेल पुलिस थाना ईतवारी (महा.)

विशय:-

दिनांक 10.10.2023 को गाडी सं. 12994 पुरी-गांधीधाम एक्सप्रेस के सामने के जनरल कोच संख्या 216348 में 03 लावारिस बैग बरामद होने एवं उसमें गांजा जैसा दिखने वाले मादक पदार्थ बरामद होने पर अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द करने के संबंध में।

.....

महोदयजी,

उपरोक्त विशयाकित्त के संबंध में रिपोर्ट इस प्रकार है कि, दिनांक 10.10.2023 को रेसुब पोस्ट ईतवारी के उप निरीक्षक आर.के. पाण्डेय एवं मंडल टास्क टीम नागपुर के सहायक उप निरीक्षक बी.के. हरबंध, प्र.आ. बी. राजोरिया, आरक्षक कपिल कुमार बघेल, आरक्षक राजू पेषने के द्वारा गाडी सं. 12994 पुरी-गांधीधाम एक्सप्रेस में समय करीबन 12.55 बजे गोंदिया रेलवे स्टेशन से रवाना होने के उपरांत समय लगभग 14.23 बजे कन्हान-कामठी रेलवे स्टेशन के मध्य आपरेषन नारकोस के तहत चेकिंग के दौरान इंजन से दूसरा जनरल कोच संख्या 216348 ०३ में चेकिंग करते समय 03 बैग संदिग्ध हालत में दिखाई दिया, संदेह होने पर बैग मालिक के संबंध में कोच के अंदर के यात्रियों से तीनों बैग के बारे में पूछताछ करने पर किसी ने अपना होना नहीं बताया। लावारिष बैग नंबर 1) नीले रंग के बैग जिसमें जड थ्छम् ठाळ लिखा हुआ जिसके अंदर 03 नग पैकेट खाकी रंग से सेलो टेप से सघन टेपिंग किये पैकेटों का निरीक्षण किया तो उसमें से गाँजा जैसे तीक्ष्ण गंध वाला मादक पदार्थ होने की संभावना लगी। लावारिष बैग नंबर 2) काला रंग का बैग जिसमें हवसकेजंतइंह ज्पुळ्ळ ैजात् छ्पुज्जम् ठाळ लिखा हुआ जिसके अंदर 04 नग पैकेट खाकी रंग से सेलो टेप से सघन टेपिंग किये गाँजा जैसे तीक्ष्ण गंध वाला मादक पदार्थ होने की संभावना लगी। लावारिष बैग नंबर 3) काला नीला रंग का बैग जिसमें ैांलइंहे लिखा हुआ जिसके अंदर 02 नग पैकेट खाकी रंग से सेलो टेप से सघन टेपिंग किये गाँजा जैसे तीक्ष्ण गंध वाला मादक पदार्थ होने की संभावना लगी। मामला मादक पदार्थ होना पाकर मंडल सुरक्षा नियंत्रण

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषणफॉर्म - १)

कक्ष, नागपुर, पोस्ट प्रभारी रेसुब पोस्ट ईतवारी एवं वरिष्ठ अधिकारी को सूचित कर उक्त गाड़ी रेलवे स्टेशन नागपुर के प्लेटफार्म नं. 03 पर समय 14.40 बजे पहुंचने पर विडियोग्राफी करते हुए तीनों लावारिष बैग को उतारा गया और नागपुर के प्लेटफार्म नं. 03 में लगे सी.सी.टी.वी. कैमरे की निगरानी में सुरक्षित रखा गया तथा धारा 42(1) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत उच्च अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर व नियमानुसार कार्यवाही के आदेश पर मुझ जाँच अधिकारी द्वारा बल सदस्यों की नियुक्ति कर जिसमें आरक्षक कमल राय को राजपत्रित अधिकारी श्री एन. जय प्रकाश, सहायक सुरक्षा आयुक्त हेतु एवं आरक्षक अकबर को विडियोग्राफी हेतु एवं आरक्षक कमल राय को 02 सरकारी पंच हेतु, आरक्षक राकेश साह को वजन मापक लाने हेतु मेमो के साथ रवाना किया गया। मेमो के आधार पर मौके पर 01) श्री एन. जय प्रकाश, सहायक सुरक्षा आयुक्त, रेसुब द.पू.म.रेलवे, नागपुर राजपत्रित अधिकारी, 02) आरक्षक अकबर खान (फोटोग्राफर), 03) फैसल खान पिता जफर खान, उम्र 24 वर्ष, निवासी- कृष्णा टाकिज के पास, संतरा मार्केट, महात्मा फुले बाजार नागपुर, थाना-गणेशपेठ, जिला-नागपुर (महाराष्ट्र) पिन नं. 440018, मोबाईल नं. 8888658534 (वजन मापक), 04) मोहम्मद फिरोज खान पिता वली खान, उम्र 40 वर्ष, निवासी-प्लाट नं. 224, पुराना कामठी रोड, कावडापेठ, रामसुमेर बाबा नगर, शांतिनगर, रेलवे क्रासिंग तजुलबराकात मस्जिद के पास, नागपुर सिटी, थाना-शांतिनगर, जिला-नागपुर (महाराष्ट्र) पिन कोड नं. 440002, मोबाईल नं. 7030299502 स्वतंत्र गवाह, 05) हीरामण महादेव मोहाडीकर, उम्र 47 वर्ष, निवासी- राउत चैक दारू दूकान के पीछे, मेहन्दीबाग लालगंज, वी.टी.सी. बैजन बाग, थाना-शांतिनगर, जिला- नागपुर (महाराष्ट्र) पिन कोड नं. 440004 मोबाईल नं. 9371705444 स्वतंत्र गवाह उपस्थित हुये तथा राजपत्रित अधिकारी के समक्ष लावारिष तीनों बैग के संबंध में एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत पंचनामा कार्यवाही शुरू कर पंचों के समक्ष बारीकी से जाँच की गई। जिसमें- 1) 01 नग नीले रंग का बैग जिस पर जड थप्पळ् ठाळ .लिखा हुआ बैग को पंचों के समक्ष वजन करने पर 10.300.कि.ग्रा. वजन पाया गया।

लगातार....पेज....02

//02//

बैग को खोलकर देखने पर उसके अंदर फटे पुराने कपडे और 03 पैकेट सेलो टैप से सघन टेपिंग किये हुये पैकेट दिखाई दिये जिसे । नाम देकर उसमे बरामद तीनों पैकेट को क्रमशः 1.1, 1.2ए 1.3 नाम दिया गया तथा पंचों के समक्ष बारी-बारी प्रत्येक पैकेट का वजन करने पर 1.1 का वजन 2.046 कि.ग्रा., 1.2 का वजन 2.045 कि.ग्रा. तथा 1.3 का वजन 2.058 कि.ग्रा. पाया गया। बारी-बारी पैकेट को पंचों के समक्ष खोलकर देखा गया तो उसमें हरी पत्ती डंठल वाले नमीयुक्त गाँजा जैसे तीक्ष्ण गंध आ रही थी। तीनों पैकेटों का कुल वजन 6.149 कि.ग्रा. है। उपस्थित पंचों के समक्ष ही उपरोक्त 03 पैकेटों में से 24-24 ग्राम के 02-02 नमूना निकाला गया जिसे 1.1ए 1.2ए 1.3 से निकाले नमूने को 1.1 का च.1ए ै.1, 1.2 का च.2ए ै.2, तथा 1.3 का च.3ए ै.3 नाम दिया गया।

2) 01 नग काले रंग का बैग जिस पर अर्गेरजी मे हवसकेजंतइंह जप्छळ ैजात् छप्जम् ठाळ लिखे हुए बैग को पंचों के समक्ष वजन करने पर 7.720 कि.ग्रा. वजन पाया गया। बैग को पंचों के

I.I.F.-I (एकीकृत अन् वेषणफॉर्म - १)

सामने खोलकर देखने पर 04 नग सेलो टैप से सघन टेपिंग किये हुये पैकेट दिखाई दिये जिसका पंचो के सामने खोलकर निरीक्षण करने पर हरी पत्ती डंठल वाले नमीयुक्त गाँजा जैसा मादक पदार्थ होना पाया। जिसे ठ नाम देकर उसमें बरामद चारो पैकेट को क्रमशः ठ.1, ठ.2ए ठ.3ए ठ.4 नाम दिया गया तथा पंचो के समक्ष बारी-बारी प्रत्येक पैकेट का वजन करने पर ठ.1 का वजन 2.282 कि.ग्रा., ठ.2 का वजन 2.215 कि.ग्रा., ठ.3 का वजन 2.241 कि.ग्रा. तथा ठ.4 का वजन 0.531 कि.ग्रा. पाया गया। ऐसी नमीयुक्त गाँजा के चारो पैकेटो का कुल वजन 7.269 कि.ग्रा. है। उपस्थित पंचोके के समक्ष ही उपरोक्त 04 पैकेटो में से 24-24 ग्राम के 02-02 नमूना निकाला गया जिसे ठ.1ए ठ.2ए ठ.3ए ठ.4 से निकाले नमूने को ठ.1 का च्.4ए ै.4, ठ.2 का च्.5ए ै.5, ठ.3 का च्.6ए ै.6 तथा ठ.4 का च्.7ए ै.7 नाम दिया गया।

3) 01 नग काले नीले रंग का बैग जिस पर अर्गेंजी मे ैांलइंहे लिखे हुए बैग को पंचो के समक्ष वजन करने पर.. 6.391 कि.ग्रा. वजन पाया गया। बैग को पंचो के समक्ष खोलकर देखने पर उसके अंदर 02 नग सेलो टैप से सघन टेपिंग किये हुये पैकेट दिखाई दिये जिसका खोलकर निरीक्षण करने पर हरी पत्ती डंठल वाली नमी युक्त गाँजा जैसा मादक पदार्थ होना पाया। जिसे ब् नाम देकर उसमें बरामद दोनो पैकेट को क्रमशः ब्.1, ब्.2 नाम दिया गया तथा पंचो के समक्ष बारी-बारी प्रत्येक पैकेट का वजन करने पर ब्.1 का वजन 2.048 कि.ग्रा., ब्.2 का वजन 2.044 कि.ग्रा. पाया गया। ऐसी नमीयुक्त गाँजा के दोनो पैकेटो का कुल वजन 4.092 कि.ग्रा. है। उपस्थित पंचोके के समक्ष ही उपरोक्त 02 पैकेटो को खोलकर प्रत्येक में से 24-24 ग्राम के 02-02 नमूना निकाला गया ब्.1ए ब्.2 से निकाले नमूने को ब्.1 का च्.8ए ै.8, ब्.2 का च्.9ए ै.9, नाम दिया गया।

03 बैग जिसमें कपडे सहित एवं 09 पैकेट सहित कुल वजन 24.411 कि.ग्रा., तथा गांजे के कुल 09 पैकेटो का कुल वजन:- 17.510 किलोग्राम है जिसकी कुल अनुमानित कीमत 175100/-रुपये।

उपरोक्त कार्यवाही पंचो, गवाहों के उपस्थिति में नियमानुसार श्री एन.जयप्रकाश सहायक सुरक्षा आयुक्त/रेसुब/द.पू.म.रेलवे, नागपुर के समक्ष एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत की गई।

उक्त कार्यवाही रेलवे स्टेशन नागपुर में पीएफ नं. 03 के मुम्बई छोर पर की गई। जिसकी चतुर सीमा देखने पर नागपुर स्टेशन प्लेटफार्म नं. 03 पर पूर्व दिशा में लगभग 10 फिट पर रेल पटरी स्थित है तथा पश्चिम दिशा में लगभग 20 फिट पर पी.एफ. नम्बर 02 की रेल पटरी स्थित है तथा उत्तर दिशा में लगभग 50 फिट पर रेलवे कि.मी. संख्या 836/29 स्थित है तथा दक्षिण दिशा में लगभग 20 फिट पर रेलवे कि.मी. संख्या 836/33 स्थित है। ऐसा घटना स्थल की चतुर सिमा है।

लगातार.....पेज....03

//03//

उपरोक्त जप्ती पंचनामा मौके पर उपस्थित पंचो द्वारा राजपत्रित अधिकारी श्री एन. जयप्रकाश सहायक सुरक्षा आयुक्त/रेसुब/द.पू.म.रेलवे, नागपुर के समक्ष समय 22.00 बजे से 23.30 बजे तक संघणक के माध्यम से टंक लेखक द्वारा जप्ती अधिकारी के निर्देशन में नागपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नं. 03 पर बिजली की रोषनी पर घटनास्थल सह जप्ती पंचनामा तैयार किया गया जिसमें पंचो, राजपत्रित अधिकारी, गवाहों ने अपना-अपना हस्ताक्षर किया तथा जप्तषुदा संपत्ती को सील बंद कर मुहर लगायी गयी। उक्त तीनों बैग गाडी संख्या 12994 पुरी-गाँधीधाम एक्सप्रेस में लावारिस रूप से बरामद हुआ। जो कि अनाधिकृत रूप से विशयांकित गाडी में परिवहन होते पाये जाने की पूशठी हुई है।

अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि बरामद लावारिस उपरोक्त तीनों बैगो को गांजे सहित उचित कानुनी कार्यवाही हेतू संलग्न कार्यवाही के दस्तावेजों के साथ सूपूर्द लेने की कृपा करे।

- संलग्न:- 1. घटनास्थल सह जप्ती पंचनामा - 03 प्रति।
 2. मंडल सुरक्षा आयुक्त को प्रेशित पत्र की प्रति - 01 प्रति।
 3. सहायक सुरक्षा आयुक्त को प्रेशित पत्र की प्रति - 01 प्रति।
 3. बल सदस्यों को दिये आदेश की प्रति - 04 प्रति।
 4. बल सदस्यों द्वारा आदेश पर कार्यवाही रिपोर्ट की प्रति- 04 प्रति।
 5. जप्ती पत्र में अंकीत तीन बैग जप्ती माल सहित

जांच अधिकारी

उप निरीक्षक आर.के. पाण्डेय

रेसुब पोस्ट ईतवारी

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(केलेली कारवाई: बाब क्र.२ मध्ये नमूद केलेल्या कलमान्वये वरील अहवालावरून अपराध दिसून आल्यामुळे):

(1)

I.I.F.-I (एकीकृत अन् वेषणफॉर्म - १)

Registered the case and took up the investigation (प्रकरण नोंदविले आणि तपासाचे काम हाती घेतले): Panjabrao Sahebrao Dode (पोलीस उपनिरीक्षक) or (किंवा):

(2) Directed (Name of I.O.) (तपास अधिका-याचे नाव): Rank (हुद्दा):

No. (क्र.): to take up the Investigation (तपास करण्याचे अधिकार दिले) or (किंवा)

(3) Refused investigation due to (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला): or (किंवा)

(4) Transferred to P.S. (गुन्हा दुसरीकडे पाठविला असल्यास त्या पोलीस ठाण्याचे नाव):

District (जिल्हा): on point of jurisdiction (अधिकाराच्या दृष्टिकोनातून).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (प्रथम खबर तक्रारदाराला/खबरीला वाचून दाखविली, बरोबर नोंदविली असल्याचे त्याने मान्य केले आणि तक्रारदाराला/खबरीला खबरीची प्रत मोफत दिली)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (ठाणे प्रभारी अधिका-याची स्वाक्षरी)

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (तक्रारदाराची/खबर देणा-याची सही/अंगठा)

Name (नाव): Panjabrao Sahebrao Dode

Rank (हुद्दा): SI (Sub-Inspector)

No. (क्र.): POBN84336

15. Date and time of dispatch to the court (न्यायालयात पाठवल्याची तारीख व वेळ):

I.I.F.-I (एकीकृत अन् वेषणफॉर्म - १)

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम खबरीतील मुद्दा क्र. ७ ला जोडपत्र)

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संशयीत/आरोपीचे (माहित असलेल या/पाहिलेल या) शारीरिक वैशिष्ट्ये, व यंग आणि इतर तपशील)

S. No. (अ.क्र.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्मतारीख वर्ष)	Build (बांधा)	Height (cms) (उंची(से ं.मी)	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (ओळखीच या खुणा)
1	2	3	4	5	6	7
1				-		चेचक: क्र.
Deformities / Peculiarities (व यंग वैशिष्ट्ये)	Teeth (दात)	Hair (केस)	Eye (डोळे)	Habit(s) (सवयी)	Dress Habit (s) (पोशाखाच य सवयी)	
8	9	10	11	12	13	
Language/Dia lect (भाषा/बोली)	Place of (चे ठिकाण)				Others (इतर)	
Burn Mark (भाजल याच खुणा)	Leucoderm a (कोड)	Mole (तिळ)	Scar (व्रण)	Tattoo (गोदण)		
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(जर तक्रारदार/माहिती देणा-याने संशयीत/आरोपीविषयी एक किंवा व यापेक्षा अधिक तपशील दिले यास फक्त त यातील रकाने यांची नोंद घेतली जाईल)